न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 476/II/2009–विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.08 पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 381/अ–6अ/06–07 अपील

श्रीमती नौनीवाई पुत्री स्व. परशराम
जाति ब्राहमण निवासी पलेरा
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ ---आवेदक

विरूद्ध

रेवा शॅकर पाठक पुत्र सुन्दरलाल
ग्राम सिंहरावन कला तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जे.एस.गौड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 7 – 10–2015 को पारित)

आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 381/अ–6अ/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.8.08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका ने नायव तहसीलदार नौगॉव को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके पिता परशुराम पुत्र खूबे पाठक का दिनांक 19.9.88 को स्वर्गवास हो गया है इसलिये उनके नाम की ग्राम सिंगरावन कला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 539, 364, 368, 812 कुल किता 4 कुल रकबा 1.116 हैक्टर पर एकमात्र पुत्री होने से नामान्तरण किया जावे। इस पर से पटवारी हलका नंबर 23 ने ग्राम की नामान्तरण पंजी पर प्रविष्टि

दिनांक 24.9.88 से कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर अनावेदक ने बसीयत के आधार पर स्वयं का नामान्तरण करने की आपत्ति दर्ज कराई। नायव तहसीलदार वृत्त नौगॉव ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 6/88-89 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30 मार्च 1989 पारित किया तथा बसीयत प्रमाणित न होना निरूपित करते हुये कास्तकार मृतक परशुराम पुत्र खूबे पाठक की आवेदिका पुत्री होने से नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष अपील क्रमांक 62/89-90 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 12.10.89 से अपील स्वीकार कर बसीयत प्रमाणित मानते हुये अनावेदक का नामान्तरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने द्वित्तीय अपील सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त सागर संभाग,सागर ने प्रकरण क्रमांक 381/अ-6अ/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.8.08 से 17 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत होने के कारण अपील सारहीन अंकित करते हुये निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से आवेदिका ने नायव तहसीलदार नौगॉव को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत उसके पिता परशुराम पुत्र खूबे पाठक की दिनांक 19.9.88 को मृत्यु होने से उनके नाम की ग्राम सिंगरावन कला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 539, 364, 368, 812 कुल किता 4 कुल रकबा 1.116 हैक्टर पर एकमात्र पुत्री होने

से नामान्तरण की मांगी की है , जिस पर अनावेदक ने बसीयत के आधार पर स्वयं का नामान्तरण करने की आपत्ति दर्ज कराने पर नायव तहसीलदार नौगॉव ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 6/88-89 पंजीबद्ध किया एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30 मार्च 1989 से बसीयत प्रमाणित न होना नहीं पाया एंव आवेदक को कास्तकार मृतक परशुराम पुत्र खूबे पाठक की पुत्री होने से नामान्तरण कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में आदेश आदेश दिनांक 12.10.89 से बसीयत प्रमाणित मानकर अनावेदक का नामान्तरण करने के आदेश दिये हैं। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष दिनांक 19.4.07 को अर्थात 17 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, सागर संभाग के न्यायालय में आवेदिका व्दारा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में निम्नानुसार विवरण अंकित किया है :-

पद- 2 यह कि अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 10.4.2007 को उस समय हुई जब अपीलार्थिया नायव तहसीलदार के यहां भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका बनवाने गई तो नायव तहसीलदार ने बताया कि जो आदेश प्रकरण क्रमांक 2/अ-6/88-89 आदेश दिनांक 30.3.89 को हुआ था वह अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पलट दिया गया ।

पद-4 यहकि अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलोपीदीन अग्रवाल थे और उनकी मृत्यु हो जाने से सही बात का ज्ञान अपीलार्थिया को नहीं हो पाया था जबकि अपीलार्थिया ने कई वार वकील साहव से संपर्क किया तथा कई वार अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के न्यायालय में संपर्क किया किंतु किसी ने भी प्रकरण में पारित आदेश की सही जानकारी नहीं दी।

उक्त के पुष्टिकरण में आवेदिका ने आयुक्त सागर संभाग के समक्ष शपथ पत्र भी दिया है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
2. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - अभिभाषक की त्रृटि के कारण पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता।

3. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - पर्दानसीन 70 वर्षीय अपढ़ महिला - कानून की जानकारी का अभाव - म्याद के बिन्दु पर उदार-रूख अपना जाना चाहिये।

आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने उक्त की अनदेखी करके अवधि विधान की धारा-5 के तथ्यों में दिये गये विवरण के विपरीत निर्णय लेकर आवेदिका मृतक परशुराम पुत्र खूबे पाठक की एकमात्र पुत्री होने संबंधी तथ्यों की अनदेखी करके अपील में गुणदोष के आधार पर निर्णय न लेते हुये म्याद के बिन्दु पर अपील निरस्त करने में भूल की है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा 44 एंव 47 - वरिष्ठ न्यायालय व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के विलम्ब को सद्भाविक मानकर क्षमा किया - मामला गुणदोष पर निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित होगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 381/अ-63अ/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.08.08 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर